an>

Title: Need to provide toilet facilities and also grant financial assistance to people for construction of toilets in cantonment area in Sagar parliamentary constituency, Madhya Pradesh.

श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर)ः नियम 377 के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र सागर के कैन्टोनमेंट एरिया में स्थित सी. एवं डी. लैंड की तरफ दिलाना चाहता हूं कि सी. लैंड इलाके में रहने वाले परिवार अपने प्रयोग के लिए शौचालय का निर्माण करते हैं तो छावनी के अधिकारी उस शौचालय को तोड़ देते हैं, जिससे आसपास गंदगी रहती है। भारत सरकार और राज्य सरकार राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के तहत विशेष अभियान चला रही है। इन शौचालयों को तोड़ने की घटनायें सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान की सफलता में बाधा खड़ी कर रही हैं। सी. लैंड के निवासियों को बिजली-पानी इत्यादि की सभी सुविधायें मिल रही हैं तो शौचालय की सुविधा भी मिलनी चाहिए। साथ ही साथ, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो 12 हजार रूपये शौचालय के निर्माण में सरकार से आर्थिक सहायता के रूप में मिलते हैं, यह आर्थिक सहायता सी लैंड के निवासियों को भी मिलनी चाहिए।

मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र सागर के कैन्टोनमेंट एरिया में स्थित सी. एवं डी. लैंड में शौचालय की अनुमति दी जाये और शौचालय के निर्माण में सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता 12 हजार रूपये भी दिये जायें।